उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 728-पारे0अनु0-04बी/पाट्राकालि-2024/20/2009 टी0सी0-III दिनांक: 13 दिसम्बर, 2024

समस्त निदेशक,
समस्त मुख्य अभियन्ता,
(पारेषण/जानपद),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0,
लखनऊ/आगरा/मेरठ/झाँसी/गोरखपुर/प्रयागराज।

विषय- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 13.12.2024, 19.12.2024 को प्रदेश भर में विरोध सभाएं एवं दिनांक 22.12.2024 को लखनऊ में विशाल बिजली पंचायत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में आया है कि उ०प्र० के ऊर्जा क्षेत्र में आगामी रिफार्म के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 13.12.2024, 19.12.2024 को प्रदेश भर में विरोध सभाए एवं दिनांक 22.12.2024 को लखनऊ में विशाल बिजली पंचायत करने का निर्णय लिया गया है।

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) द्वारा जारी शासनादेश संख्या-866-24-पी-2-24-1(121)/04, दिनांक 06.12.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-30 सन् 1966) की धारा (3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश से ट्रांसकों (मु0) के पत्र संख्या-721-पारे0अनु0-04बी/पाट्राकालि-2024, दिनांक 11.12 2024 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा सभी निदेशकों एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को संसूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का सत्याग्रह आन्दोलन/प्रदर्शन/कार्य बहिष्कार करना न केवल अनुचित है अपितु, अवैधानिक भी है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा दिनांक 13.12.2024 से प्रस्तावित विरोध सभा एवं विशाल बिजली पंचायत के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत उपकेन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मुकुल सोनकर)
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

संख्याः 728(।)–पारे0अनु0–04बी/पाट्राकालि–2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. उप सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अनु सचिव (पारेषण–०2बी/०4बी), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 721–पारे0अनु0–04बी/पाट्राकालि–2024/20/2009 टी0सी0–III
दिनांकः 11 दिसम्बर, 2024

समस्त निदेशक,
समस्त मुख्य अभियन्ता,
(पारेषण/जानपद),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0,
लखनऊ/आगरा/मेरठ/झाँसी/गोरखपुर/प्रयागराज।

विषय– ''उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966'' के अन्तर्गत 06 माह के लिये हड़ताल निषिद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन से प्राप्त अधिसूचना आदेश संख्या–866/24–पी–2–24–1(121)/04, दिनांकः 06 दिसम्बर, 2024 (ससंलग्नक छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 शासन ने ''उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966'' के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में उक्त आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिये हड़ताल निषिद्ध की है।

अतः उपरोक्त संदर्भित आदेश की संलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्नकर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
Satyarth
(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

संख्याः 721 (I)–पारे0अनु0–04बी/पाट्राकालि–2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Satyarth
(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्या-866/24-पी-2-24-1(121)/04

लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर, 2024

दर्जा सं0 721 पत्रांक 09 पदाकालि/2024
पत्रावली सं0
क्र0सं0

अधिसूचना

आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय विगत में जारी अधिसूचना संख्या-814/24-पी-2-2024, दिनांक 04.07.2024 को अवक्रमित करते हुए इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3-उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० लखनऊ, 4-कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 5-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 6-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 7-पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ, 8-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० आगरा और 9-UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

No. 2855 MD/UPPTCL
Date 9.12.2024

Dir(HA), UNL/TCL

सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 07.12.2024 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग से स्वीकृति ले ली है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0

आज्ञा से,

सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

DS(T-III)

(मुकुल सोनकर)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

SO-04

09.12.2024

10/12/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(2) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।

(3) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(5) समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

(6) समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जिलाधिकारियों को अपने स्तर से भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(7) सूचना निदेशक, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेश को विशेष रूप से प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।

(8) [illegible] अनुभाग-1।

(9) [illegible] प्रदेश कानपुर।

(10) [illegible] कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी (केस्को) कानपुर।

(11) प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।

(12) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।

(13) प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।

(14) प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।

(15) गोपन अनुभाग-2 एवं ऊर्जा अनुभाग-1/3/ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(सतीश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 866/24-P-2-2024-1(121)/04, Dated 06.12.2024

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
No. 866/24-P-2-2024-1(121)/04
Lucknow Dated 06.12.2024

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor, by Superseding the Previous Notification No.814/24-P-2-24, Dated 04.07.2024, is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 4. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 5. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 6. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 7. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 8. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra, 9. UP Renewable & EV Infrastructure Ltd, Lucknow.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By Order,

SARVESH KUMAR SINGH
JOINT SECRETARY